प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु कैम्प दिनांक 25-6-16 को पक्षकारों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 25/6 को कैम्प स्थल पर प्रस्तुत हो।

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जि. उदयपुर

25-6-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के शिविर माली फला पर प्रस्तुत हुई। वादी तेजा पिता नाथा मीणा उपस्थित है। वादी ने मजरे आम में स्थानीय विधायक महोदय, प्रधान पंचायत समिति खेरवाड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत एवम् अन्य के समक्ष प्रकट किया कि वह उसके द्वारा प्रस्तुत दावे को आगे नही चलाना चाहता है तथा दावे में अब कोई कार्यवाही नही चाहता है। सहमति स्वरूप फर्द आदकाम पर सभी के समक्ष हस्ताक्षर किये।

अतः वादी द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने के कारण पत्रावली इसी स्तर पर निर्णीत की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली कैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो एवम् हस्ब कायदा दाखिल दफ्तर हो।

25/6/16

कृष्ण दत्त पाण्डेय
उप जिला कलेक्टर
खेरवाड़ा (उदयपुर)